	(4) कोई व्यक्ति उप धारा (3) के अधीन उपायुक्त के किसी आदेश द्वारा व्यथित है तो इस आदेश के तिथि से तीस दिनों के भीतर सचिव जनजातीय को अपील दे सकता है ।	
	83. (1) प्रत्येक द्वीप परिषद को वार्षिक रूप से पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान द्वीप परिषद के प्रशासन पर एक रिपोर्ट उपायुक्त के पास प्रस्तुत करनी होगी । (2) रिपोर्ट चीफ कैप्टन द्वारा तैयार किया जाएगा और तत्पश्चात उसे द्वीप परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उसके आधार पर द्वीप परिषद की संकल्प की प्रति के साथ उसे उपायुक्त को अग्रेषित किया जाएगा ।	प्रशासनिक रिपोर्ट
	84. (1) उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त के पास निम्नलिखित शक्ति होगी :– (क) मंगाने की शक्ति :– (i) किसी द्वीप परिषद के कब्जाधीन अथवा नियंत्रणाधीन में किसी द्वीप परिषद की कार्यवाही, किसी पुस्तक, अभिलेख, पत्राचार अथवा दस्तावेज से कोई निष्कर्षण; (ii) निरीक्षण अथवा परीक्षण के उद्देश्य के लिए कोई विवरण, योजना, अनुमान, ब्यौरा, लेखा अथवा रिपोर्ट । (ख) विचार के लिए द्वीप परिषद की आवश्यकता :– (i) उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त के पास ऐसे ग्राम परिषद द्वारा किए जा रहे विद्यमान कोई कार्य जो किया जाना है अथवा किया जा रहा है, के संबंध में कोई आपत्ति जो उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त के पास प्रस्तुत होती है और उसे करने से बाज नहीं आने के कारणों को बताते हुए उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उपायुक्त/सहायक आयुक्त को लिखित जवाब देने के लिए । कोई भी सूचना जो उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त प्रस्तुत कर सकते हैं और जो उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त के सामने ग्राम परिषद द्वारा कुछ चीजों को करने की मांग करने के लिए पेश किया जाता है, उपायुक्त और सहायक आयुक्त को लिखित उत्तर देगा; जैसा भी मामला हो और ऐसा करने से बाज आने के कारणों को बताते हुए उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर लिखित जवाब देने के लिए ।	कार्यवाही मंगाने की शक्ति